माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उत्तर प्रदेश

एक परिचय

1995

पी० पाण्डेय
निदेशक (माध्यमिक)
एवं सभापति

प्रकाश चन्द्र श्रीवास्तव
सचिव

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की स्थापना इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन की गई। इसके पूर्व माध्यमिक स्तर की परीक्षायें इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाती थी। परिषद द्वारा सर्वप्रथम सार्वजनिक परीक्षाएं वर्ष 1925 में संचालित की गई, जिसमें 170 विद्यालयों के कुल 8648 परीक्षार्थी 80 परीक्षा केन्द्रों से सम्मिलित हुए।

परिषद के कर्त्तव्य

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिषद के मुख्य-मुख्य कार्य निम्नवत् हैं :—

1. अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना।
2. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों को विहित करना।
3. निर्धारित पाठ्यक्रमों की समाप्ति पर परीक्षाओं का संचालन।
4. परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना।
5. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिये राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों का लेखन एवं प्रकाशन।
6. मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम निर्माण पर शोध करना।
7. अन्य परिषद की परीक्षाओं की समकक्षता का निर्धारण।

2. कार्य संचालन (संगठनात्मक पक्ष)

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में सभापति, सचिव और परिषद को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों का उल्लेख है। परिषद अपना कार्य निम्नांकित समितियों के माध्यम से करती है :—

अधिनियम के अधीन गठित

(क) पाठ्यचर्या समिति
(ख) परीक्षा समिति
(ग) परीक्षाफल समिति
(घ) मान्यता समिति
(ङ) वित्त समिति

विनियमों के अधीन गठित

(क) महिला शिक्षा समिति
(ख) 37 पाठ्यक्रम समितियाँ
(ग) अनुचित साधन निस्तारण समितियाँ

3. प्रशासनिक ढाँचा

वर्ष 1971 के पूर्व परीक्षाओं का सम्पूर्ण कार्य परिषद के मुख्य कार्यालय इलाहाबाद में सम्पन्न किया जाता था। हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में निरन्तर अभूतपूर्व वृद्धि के

फलस्वरूप एक कार्यालय से परीक्षापूर्व एवं परीक्षोत्तर कार्य करने में अनेक प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने लगी। कठिनाइयों के निराकरण तथा स्थानीय जनता के हित की दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा चार क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई :—

(1) **मेरठ क्षेत्रीय कार्यालय** वर्ष 1972
(आगरा, मेरठ, पौड़ी मण्डल)

(2) **वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय** वर्ष 1978
(गोरखपुर, वाराणसी, फैजाबाद मण्डल)

(3) **बरेली क्षेत्रीय कार्यालय** वर्ष 1981
(नैनीताल, मुरादाबाद, बरेली मण्डल)

(4) **इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय** वर्ष 1986
(इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झांसी मण्डल)

उपर्युक्त चारों क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय सचिवों के निरीक्षण में कार्य करते हैं। इनमें परीक्षापूर्व एवं परीक्षोत्तर कार्यों का सम्पादन होता है। उपर्युक्त कार्यालयों के अस्तित्व में आ जाने पर मूल कार्यालय का दर्जा अब मुख्य कार्यालय का हो गया हैं, जहाँ से परिषदीय कार्यों का नीति निर्धारण, पाठ्यक्रम का निर्माण, प्रश्नपत्रों का निर्माण एवं आपूर्ति, शोध एवं परीक्षा सुधार, राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों का निर्माण, सांख्यिकी संकलन, परिषद का अय-व्ययक (बजट) एवं वित्तीय नियंत्रण, परीक्षाफल घोषणा, स्टाफ की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण आदि कार्य सम्पादित किये जाते हैं।

वर्ष 1995 में क्षेत्रीय कार्यालय वार परीक्षार्थियों की संख्या इस प्रकार रही :—

	हाईस्कूल		इण्टरमीडिएट	
क्षेत्रीय कार्यालय	**पंजीकृत**	**सम्मिलित**	**पंजीकृत**	**सम्मिलित**
मेरठ	511332	474679	210005	187803
बरेली	212309	192824	84281	76241
इलाहाबाद	530007	491079	205539	191712
वाराणसी	546970	522167	206035	191479
योग	1800618	1680749	705860	647235

शैक्षणिक

माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षायें संचालित की जाती है। इन परीक्षाओं के लिये परिषद अपनी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या समिति के माध्यम से पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें, अन्य पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री विहित करती है। इन परीक्षाओं की पाठ्यचर्या तथा पाठ्यक्रमों में आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है। 1970 के बाद से मुख्य-मुख्य परिवर्तन निम्नवत् किये गये हैं :—

(क) हाईस्कूल परीक्षा :

वर्ष 1970 से 1983 तक प्रत्येक परीक्षार्थी की परीक्षा पाँच विषयों में ली जाती थी, जिसमें दो विषय अनिवार्य तथा तीन विषय वैकल्पिक होते थे। वर्ष 1984 की परीक्षा से इस वर्षीय सामान्य शिक्षा लागू की गयी जिसके अनुसार प्रत्येक परीक्षार्थी की परीक्षा सात विषयों में ली जा रही है। इसके अन्तर्गत छः अनिवार्य तथा एक वैकल्पिक विषय उपहृत करने की व्यवस्था है। अनिवार्य विषय नैतिक, शारीरिक, समाजोपयोगी उत्पादक एवं समाज सेवा कार्य में विद्यालय स्तर पर आन्तरिक परीक्षा होती है। इस विषय में वाह्य परीक्षा नहीं होती। तदनुसार पाँच अनिवार्य तथा एक वैकल्पिक विषय की परीक्षा परिषद द्वारा सम्पादित की जाती हैं।

वर्तमान पाठ्यचर्या प्रदेश में शिक्षा सत्र 1982 अर्थात वर्ष 1984 की परीक्षा से प्रचलित है। तब से ज्ञान, विज्ञान और छात्र के लिये कल्पित सामान्य ज्ञान की मात्रा एवं व्यापकता में अत्यन्त वृद्धि हुई है। इसके तहत हाईस्कूल की एक नवीन पाठ्यचर्या लागू करने का प्रस्ताव शासन की स्वीकृति हेतु भेजा गया है, जो शासन के विचाराधीन है।

परिषद ने वर्ष 1996 की परीक्षाओं हेतु कुछ विषयों के पाठ्यक्रम में कतिपय संशोधन किये है :—

(1) हाईस्कूल कृषि विषय के पाठ्यक्रम में अंशिक संशोधन कर 'खादों एवं उर्वरकों के मिश्रण' का अंश जोड़ा गया है।

(2) इण्टरमीडिएट कृषि (प्रथम वर्ष) के चतुर्थ प्रश्न पत्र को संशोधित किया गया है।

इसी प्रकार 1997 की परीक्षा हेतु संशोधन/परिवर्द्धन से संबंधित विज्ञप्ति प्रसारित कर दी गयी है। पाठ्यक्रम में संशोधन तथा परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें वर्तमान आवश्यकताओं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवस्थाओं के अनुरूप संशोधन किया जाता रहता है।

(ख) इण्टरमीडिएट परीक्षा :

वर्ष 1970 तक इण्टरमीडिएट परीक्षा चार विषयों में ली जाती थी, जिसमें एक अनिवार्य तथा तीन वकल्पिक विषय होते थे। इसके बाद से पाँच विषयों में परीक्षा ली जाने लगी, जिसमें एक अनिवार्य तथा चार वैकल्पिक विषय लेने का प्रावधान रखा गया। वर्तमान में इसी के अनुसार परीक्षा सम्पादित की जा रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार इण्टरमीडिएट स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा लागू किया गया हैं। इसके लिये निर्धारित 35 ट्रेड्स चयनित विद्यालयों में लागू किये गये हैं। इन विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता से चलाया जा रहा है। परिषद द्वारा व्यावसायिक शिक्षा के लिये पृथक से पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम निर्धारित है।

(ग) प्रस्तावित व्यवस्था :

कक्षा 9-10 तथा 11-12 के लिये पाठ्यक्रम पृथक-पृथक विभाजित कर कक्षा 9 तथा 11 के पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा विद्यालय स्तर पर एवं 10 तथा 12 के पाठ्यक्रम के अनुसार परिषद द्वारा परीक्षा सम्पादित करने का प्रस्ताव है। इस सम्बन्ध में शासन ने राजाज्ञा दिनांक 19 जुलाई 1993 द्वारा पाठ्यक्रम विभाजन के लिये परिषद द्वारा एक कमेटी का गठन किये जाने का निर्देश दिया है। साथ ही इस कमेटी में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों तथा अन्य शिक्षा विदों को आमंत्रित करने का भी आदेश दिया गया है। शासन की अपेक्षानुसार कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी की संस्तुतियों पर परिषद के निर्णय से यथासमय शासन को अवगत कराया जायेगा।

(घ) पाठ्यचर्या :

परिषद अपनी हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की पाठ्यचर्या को आधुनिकतम स्वरूप प्रदान करने की दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहती है और प्रतिवर्ष पाठ्यचर्या समिति विभिन्न विषयों की पाठ्यक्रम समितियों के माध्यम से इसकी समीक्षा करती रहती है। राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप 10+2 शैक्षिक योजना के अन्तर्गत प्रदेश में दस वर्षीय सामान्य शिक्षा पद्धति वर्ष 1984 की परीक्षा से लागू है, जिसमें हाईस्कूल परीक्षा हेतु सबके लिये छः अनिवार्य विषय और एक वैकल्पिक विषय निर्धारित है।

इण्टरमीडिएट (+2) स्तर पर सामान्य और व्यवसायिक दो प्रकार की धारायें निर्धारित हैं। सामान्य धारा में डिसीप्लिन के अनुसार विषयों का निर्धारण साहित्यिक, वैज्ञानिक, वाणिज्य, रचनात्मक, ललित कला, उत्तर बेसिक, कृषि वर्गों में किया गया है। इसके अतिरिक्त छात्रों को टेक्निकल विषयों का ज्ञान देने के लिये इण्टरमीडिएट प्राविधिक वर्ग का निर्माण किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा

पृष्ठभूमि :

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1948 के उपरान्त आचार्य नरेन्द्र देव समिति की संस्तुतियों पर आधारित 1– कला वर्ग, 2– विज्ञान वर्ग, 3– कृषि वर्ग, 4– वाणिज्य वर्ग, 5– रचनात्मक और 6– तकनीकी शिक्षा वर्ग के अन्तर्गत 10+2 स्तर पर शिक्षा प्रदान की जाती रही, किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर संस्तुत 10+2+3 शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत हाईस्कूल स्तर पर वर्गों को समाप्त कर वर्ष 1982 से प्रदेश में दस-वर्षीय सामान्य शिक्षा लागू की गयी। तदुपरान्त +2 स्तर पर आदिशेषैया समिति की संस्तुतियों के आधार पर शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने पर विचार किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप वर्ष 1985 से उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा को लागू किया गया। इस राज्य स्तरीय योजनान्तर्गत विभिन्न वर्ग की शिक्षा को और भी अधिक व्यवसायपरक बनाने की संकल्पना की गयी।

उपर्युक्त राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत तीन चरणों में वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग और कृषि वर्ग के अन्तर्गत क्रमशः 8 ट्रेड, 4 ट्रेड और 8 ट्रेड के पाठ्यक्रमों का विकास कर व्यावसायिक शिक्षा लागू की गई जो निम्नवत् है :—

(क) वाणिज्य वर्ग के 8 ट्रेड :

1. एकाउन्टेंसी एवं अंकेक्षण
2. बैंकिंग
3. आशुलिपि एवं टंकण
4. विपणन एवं बिक्रय कला
5. सचिवीय पद्धति
6. सहकारिता
7. टंकण
8. बीमा

(ख) कला वर्ग के 4 ट्रेड (गृह विज्ञान के अन्तर्गत)

1. खाद्य संरक्षण
2. परिधान रचना एवं सज्जा
3. धुलाई तथा रंगाई
4. पाकशास्त्र

(ग) कृषि वर्ग के 8 ट्रेड :

1. मधुमक्खी पालन
2. डेरी प्रौद्योगिकी
3. रेशम कीट पालन
4. फल संरक्षण प्रौद्योगिकी
5. बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी
6. फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी
7. पौधशाला
8. भूमि संरक्षण एवं भूमि सुधार

इस प्रकार राज्य द्वारा पुरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा के विद्यालयों की वर्षवार संख्या निम्नांकित है :

वर्ष	क्षेत्र	वाणिज्य	कला (गृह विज्ञान)	कृषि	योग
1985–86	मैदानी	41	—	—	41
1986–87	मैदानी	57	128	—	185
	पर्वतीय	08	02	—	10
1987–88	मैदानी	20	08	154	182
	पर्वतीय	—	22	—	22
योग		126	160	154	440

ज्ञातव्य है कि वर्ष 1994 से राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम पूर्णतः समाप्त कर दिये गये हैं, और अब केवल केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड्स के पाठ्यक्रम चल रहे हैं।

केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा का शुभारम्भ :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) तथा प्रोग्राम आफ ऐक्शन के अनुसार +2 स्तर पर छात्रों की संख्या का 10 प्रतिशत 1990 तक तथा 25 प्रतिशत 1995 तक व्यावसायिक शिक्षा की धारा में ले जाने की संकल्पना की गयी। इस संकल्पना के अनुसार किसी एक व्यावसायिक ट्रेड की पाठ्यचर्या का स्वरूप निम्नवत् प्रस्तावित किया गया :—

(1) भाषा—	15 प्रतिशत
(2) सामान्य आधारिक विषय—	15 प्रतिशत
(3) व्यावसायिक विषय (कोई एक ट्रेड)—	70 प्रतिशत
योग	100 प्रतिशत

ज्ञातव्य है कि राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षा के जो 20 ट्रेड प्रदेश में लागू किये गये थे, उनके पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक ट्रेड पर वेटेज असमान एवं राष्ट्रीय संकल्पना के अनुरूप नहीं था। अतः सम्पूर्ण राष्ट्र की व्यावसायिक शिक्षा धारा के अनुसार प्रदेश में भी व्यावसायिक शिक्षा को अनुकूलित करने की आवश्यकता तीव्रता से अनुभव की गयी। अतः व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तथा गुणात्मक सुधार की दिशा में प्रगति के लिए यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि एक उच्च स्तरीय परामर्शदात्री समिति प्रादेशिक स्तर पर गठित की जाय। इसी

समिति की संस्तुतियों, (जिन्हें मन्त्रि परिषद की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी थी) के आधार पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने 1988 में एक कार्ययोजना तैयार कर उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत किया। इस कार्य योजना में विभिन्न स्तरों जैसे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मण्डल एवं जनपद स्तर पर अनुभागों/प्रकोष्ठों की स्थापना, शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु स्रोत केन्द्रों/संदर्भ केन्द्रों की स्थापना, विद्यालय स्तरीय सर्वेक्षण, नये विद्यालयों के चयन, पाठ्यक्रमों का विकास, शिक्षक-निर्देशिकाओं एवं पाठ्य पुस्तकों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। उपर्युक्त कार्य योजना के अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव दिया गया जो निम्नवत् है :—

माध्यमिक शिक्षा परिषद का सुदृढ़ीकरण (व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में) :

उद्देश्य :

निदेशालय द्वारा जनपद स्तरीय सर्वेक्षण के आधार पर चयनित ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का विकास कर विषय–समितियों से अनुमोदन कराने, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करने, न्यूनतम उपकरणों की सूची तैयार करने, विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्रों का स्वरूप निर्धारित करने, व्यावसायिक शिक्षा की योजना का मूल्यांकन तथा मानीटरिंग करने, निदेशालय से समन्वय करने आदि कार्यों के लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग के अन्तर्गत एक अलग व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ स्थापित किया जाय।

कार्य-योजना में वर्णित उद्देश्यों से स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद को केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य सम्पादित करने थे :—

1. निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर जनपदवार प्रदेश के लिए चयनित ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का विकास करना।
2. निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम उपकरणों की सूची तैयार करना।
3. मान्यता हेतु मानक निर्धारित करना तथा निदेशालय द्वारा प्राप्त निरीक्षण आख्या के आधार पर मान्यता प्रदान करना।
4. मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र के प्रारूप का निर्धारण करना।
5. व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य स्थल पर प्रयोगात्मक कार्यों का स्वरूप निर्धारित करना।
6. व्यावसायिक शिक्षा की योजना का पैनेल निरीक्षण द्वारा प्राप्त आख्या के आधार पर मूल्यांकन तथा मानीटरिंग करना।
7. विभिन्न शैक्षिक कार्यशालाओं का आयोजन करना।

कार्य-योजना में माध्यमिक शिक्षा परिषद हेतु उल्लिखित कार्यक्षेत्र के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा परिषद अपने दायित्वों का सतत् निर्वहन कर रहा है और अब तक इसने केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत

व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यचर्या के स्वरूप का निर्धारण, 35 ट्रेडस के पाठ्यक्रमों का निर्माण, 9 ट्रेडस के पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण एवं संशोधन, सभी चयनित ट्रेडस के न्यूनतम उपकरणों की सूची बनाना, 14 ट्रेडस एवं सामान्य आधारिक विषय के शिक्षक निर्देशिकाओं का निर्माण, प्रधानाचार्यों के बोधात्मक प्रशिक्षण की 5 कार्यशालाओं का आयोजन, सामान्य आधारिक विषय एवं 11 ट्रेडस के 899 अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण, सामान्य आधारिक विषय एवं 10 ट्रेडस के प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों का निर्माण एव दो ट्रेड की पाठ्य पुस्तकों की पाण्डुलिपियों (जिनका परिमार्जन एवं मुद्रण अभी किया जाना है) की रचना कार्य सम्पादित कराया हैं। समयाभाव एवं विषय-विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण निर्णय लिया गया कि बाजार में उपलब्ध जिन पुस्तकों में 50 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम की विषयवस्तु का समावेश हो, उन्हें संदर्भ पुस्तकों के रूप में क्रय कर विद्यालयी पुस्तकालय हेतु आपूर्ति कर दी जाय, जिससे अध्यापक उन्हें पढ़कर कक्षा शिक्षण सुचारु ढंग से कर सकें। अतः शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक) के व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा क्रय कर प्रथम दो चरणों में चयनित विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से भेज दिया गया।

+ 2 स्तर पर
केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित
कार्यों की आख्या

(1) पाठ्यचर्या के स्वरूप का निर्धारण :

विषय	अंक	प्रश्न पत्र
1—सामान्य हिन्दी	100	3
2—एक ऐच्छिक विषय (48 विषयों की सूची में से कोई एक)	100	2
3—सामान्य आधारिक विषय	100	2
4—व्यावसायिक शिक्षा का कोई एक ट्रेड—		
(क) सैद्धान्तिक	300	5
(ख) प्रयोगात्मक	400	1
योग	1000	13

(2) पाठ्यक्रमों का निर्माण :

(क) एन०सी०ई०आर०टी० के लगभग 150 पाठ्यक्रमों में से चयन कर प्रथम चरण में विभिन्न क्षेत्रों के निम्नांकित 31 ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया—

1—खाद्य संरक्षण
2—पाकशास्त्र
3—परिधान रचना एवं सज्जा
4—धुलाई रंगाई
5—बेंकिंग तथा कन्फेक्शनरी
6—टेक्सटाइल डिजाइन
7—बुनाई तकनीक
8—नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध
9—पुस्तकालय विज्ञान
10—बहुउद्देश्यीय बुनियादी स्वास्थ्य कार्मिक (पुरुष)
11—फोटोग्राफी
12—रेडियो एवं टेलीविजन तकनीक
13—आटोमोबाइल्स
14—एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण
15—वैंकिग
16—आशुलिपि एवं टंकण
17—विपणन एवं विक्रय कला
18—सचिवीय पद्धति
19—सहकारिता
20—टंकण
21—बोमा
22—मुद्रण
23—कुलाल विज्ञान
24—मधुमक्खी पालन
25—डेरी प्रौद्योगिकी
26—रेशम कीट पालन
27—फल संरक्षण प्रौद्योगिकी
28—बीजोत्पादन प्रौद्योगिकी
29—फसल सुरक्षा प्रौद्योगिकी
30—पौधशाला
31—भूमि संरक्षण

(ख) द्वितीय चरण में हस्तकला के निम्नांकित 4 ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया :—

32—इम्ब्राइडरी
33—हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग
34—मेटल क्राफ्ट
35—कृत्रिम अंग एवं अवयव

(3) पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण एवं संशोधन :

वाणिज्यिक क्षेत्र के निम्नांकित 8 ट्रेड्स एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के आटोमोबाइल्स ट्रेड के पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण कर संशोधन किया गया :

1—एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण
2—बैंकिग
3—आशुलिपि एवं टंकण
4—विपणन एवं विक्रयकला

5—सचिवीय पद्धति
6—सहकारिता
7—टंकण
8—बीमा
9—आटोमोबाल्स

(4) शिक्षक निर्देशिकाओं का निर्माण :

व्यावसायिक शिक्षा के प्रत्येक ट्रेड के साथ पढ़ाये जाने वाले अनिवार्य विषय "सामान्य आधारिक विषय" के साथ-साथ 14 ट्रेड्स की शिक्षक निर्देशिकाएं तैयार की जा चुकी हैं, जो निम्नांकित हैं :—

1. सामान्य आधारिक विषय
2. खाद्य संरक्षण
3. परिधान रचना एवं सज्जा
4. धुलाई रंगाई
5. बैंकिंग तथा कन्फेक्शनरी
6. नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध
7. फोटोग्राफी
8. रेडियो एवं टेलीविजन
9. मेटल क्राफ्ट
10. इम्ब्राइडरी
11. हैण्ड ब्लाक प्रिंटिंग
12. एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण
13. बैंकिंग
14. आशुलिपि एवं टंकण
15. सचिवीय पद्धति ।

(5) प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण :

योजना का स्वरूप, विद्यालयों में प्रवेश, अनुदान का उपभोग, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षकों की व्यवस्था, अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था, कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण हेतु संस्थानों/प्रतिष्ठानों से सम्बद्धता तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रधानाचार्यों की निम्नवत् बोधात्मक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया :—

1. राजकीय सी. पी. आई., इलाहाबाद (1989)
2. राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ (1989)
3. शान्तिकुन्ज, हरिद्वार (1991)
4. राजकीय दीक्षा विद्यालय, भीमताल, नैनीताल (1992)
5. राजकीय इण्टर कालेज, गुप्तकाशी, चमोली (1992)

(6) अध्यापकों का बोधात्मक प्रशिक्षण :

क्रमांक	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या
1.	फोटोग्राफी	112

2.	बहुउद्देशीय बुनियादी स्वास्थ्य कर्मिक (पुरुष)	24
3.	पुस्तकालय विज्ञान	34
4.	बैंकिंग एवं कन्फेक्शनरी	49
5.	रेडियो एवं टेलीविजन तकनीक	41
6.	आटोमोबाइल्स	41
7.	रंगाई धुलाई	12
8.	टेक्सटाइल डिजाइन	21
9.	खाद्य संरक्षण	51
10.	नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध	39
11.	परिधान रचना एवं सज्जा	88
12.	सामान्य आधारिक विषय	387
	योग	899

(7) प्रतिदर्श प्रश्न-पत्रों का निर्माण :

सभी ट्रेडस के प्रश्न-पत्रों का प्रारूप निर्धारित कर सम्बन्धित विद्यालयों को विद्यार्थियों के समुचित मार्ग-दर्शन हेतु प्रथम परिषदीय परीक्षा के आयोजन के पूर्व उपलब्ध कराया गया था, क्योंकि सीमित समय के भीतर सभी ट्रेडों के प्रतिवर्श प्रश्न-पत्रों का निर्माण करना संभव न था। अब तक निम्नांकित 10 ट्रेड एवं सामान्य आधारिक विषय के प्रतिदर्श प्रश्न-पत्रों का निर्माण कर सम्बन्धित विद्यालयों को प्रेषित किया जा चुका है :—

1. सामान्य आधारिक विषय
2. फोटोग्राफी
3. धुलाई रंगाई
4. खाद्य संरक्षण
5. बैंकिंग एव कन्फेक्शनरी
6. पाकशास्त्र
7. नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण एवं शिशु प्रबन्ध
8. एकाउन्टेन्सी एवं अंकेक्षण
9. बैंकिंग
10. आशुलिपि एवं टंकण
11. सचिवीय पद्धति

(8) पाठ्य पुस्तकों का निर्माण :

पुस्तकालय विज्ञान के पांच प्रश्न पत्रों पर पाठ्यक्रम की पाण्डुलिपि कार्यशालाऐं आयोजित कर विषय-विशेषज्ञों द्वारा तैयार करायी गई है, जिनका परिमार्जन अभी किया जाना है। आटोमोबाइल्स ट्रेड के केवल तीन प्रश्न पत्रों पर पाठ्य पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार की गयी है। इसका भी परिमार्जन अभी किया जाना है।

(9) **संदर्भ पुस्तकों का प्रेषण** :

समयाभाव एवं विषय-विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण यह निर्णय लिया गया कि बाजार में उपलब्ध पुस्तकें आमन्त्रित कर जो 50 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रमों पर आधारित हो (अर्थात जिन पुस्तकों में 50 प्रतिशत से अधिक पाठ्यक्रम की विषयवस्तु का समावेश होता हो) उन्हें सन्दर्भ पुस्तकों के रूप में क्रय कर विद्यालयी पुस्तकालय हेतु आपूर्ति कर दी जाय। अतः जो भी पुस्तकें ट्रेडवार उपलब्ध हो सकी, उन्हें शिक्षा निदेशालय (माध्यमिक) के व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ द्वारा क्रय कर प्रथम दो चरणों में चयनित विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के माध्यम से भेज दिया गया, जिससे अध्यापक उन्हें पढ़कर कक्षा शिक्षण सुचारु ढंग से कर सकें। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में चयनित विद्यालयों के विभिन्न ट्रेडस की संदर्भ पुस्तकें प्रेषित की गयीं।

इन्टरमीडिएट स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेडस के चयन में छात्रों की अभिरुचि पैदा करने तथा उनमें प्रेरणा जागृत करने के उद्देश्य से कक्षा 9 एवं 10 में पूर्व व्यावसायिक शिक्षा 1995–96 के सत्र से लागू करने की कार्यवाही की जा रही है।

परिषद की अन्य कार्यकारी यूनिट

1. पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग :

माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में वर्ष 1975 में "पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन" अनुभाग की स्थापना की गयी। इस अनुभाग के स्थापना के उद्देश्यों की परिकल्पना निम्नवत् की गयी थी :—

1. परीक्षाफल उन्नयन हेतु ठोस सुझाव प्रस्तुत करना।
2. पाठ्यक्रम शोध सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन करना।
3. मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता हेतु प्रश्न पत्र निर्माताओं एवं परिसमीन कर्त्ताओं को गोष्ठी एवं कार्यशालाओं द्वारा प्रशिक्षित करना।
4. परिषदीय समस्याओं का प्रायोजना के रूप में सर्वेक्षण कर समाधान करना।

उपर्युक्त परिकल्पनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिये पाठ्यकम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग सतत प्रयत्नशील रहा है। प्रगति की दिशा में पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली से निरन्तर सहयोग प्राप्त कर प्रदेश के बाहर एवं अन्दर के शिक्षाविदों एवं विशेषज्ञों को कार्यशालाओं में आमन्त्रित कर संस्तुतियों के आधार पर नवीन योजनाओं की संकल्पनाओं को मूर्तिस्वरूप प्रदान करता रहा है।

2. यूनिट द्वारा अब तक कृत कार्य—

1. परीक्षाफल उन्नयन तथा सुधार हेतु किये गये कार्य–छात्रों का सही मूल्यांकन करने हेतु प्रो० ब्लूम की तकनीक पर आधारित गणित, विज्ञान तथा अन्य विषयों में उद्देश्यमूलक एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों का निर्माण तथा सम्बन्धित विद्यालयों को उनका प्रेषण।
2. हाईस्कूल स्तरीय हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, विषयों में नई विधा पर आधारित परिषदीय परीक्षा 1984 से लागू विषयों में प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों का निर्माण एवं प्रेषण।
3. +2 स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेड्स में नई विधा पर आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण।
4. सामान्य शिक्षण के अन्तर्गत हाई स्कूल के कतिपय प्रमुख विषयों तथा इण्टरमीडिएट के कतिपय लोकप्रिय विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तरों का सर्वेक्षण कर उत्तरों में कमियों का पता लगाकर तथा उनका विश्लेषण कर शिक्षकों हेतु निर्देश प्रस्तुत करना।

5. प्रदेश के छात्र–छात्राओं को प्रेरणा प्रदान करने के लिये प्रतिवर्ष श्रेष्ठता सूची में प्रथम दस स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थियों के विभिन्न विषयों में अभिव्यक्त मूलक उत्कृष्ट उत्तरों का चयन कर "प्रतिभा प्रश्न" नामक पुस्तिका में प्रकाशित करना एवं प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को प्रेषित करना।

6. माध्यमिक शिक्षा परिषद के वर्ष 1988 से 1992 तक के हाई स्कूल के 10 प्रमुख विषयों तथा 1989 से 1994 तक हाई स्कूल के 10 तथा इण्टरमीडिएट के 8 प्रमुख विषयों के परीक्षाफलों का विश्लेषणकर आगामी परीक्षाफलों के स्तरोन्नयन हेतु शोध पुस्तिकाओं के माध्यम से परामर्श एवं सुझाव प्रस्तुत करना।

7. राजकीय, सहायता प्राप्त, अशासकीय वित्त विहीन मान्यता प्राप्त अशासकीय तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के वर्ष 1992 के इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल के परीक्षाफलों का विश्लेषण कर सम्बन्धित पक्षों को अवगत कराना एवं परीक्षाफल उन्नयन हेतु ठोस सुझाव देना।

8. विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों की समीक्षा एवं विश्लेषण कर उनमें वांछित स्तर के अनुसार सुधार करने हेतु प्रश्न पत्र निर्माताओं एवं परिमार्जकों के लिये एन. सी. ई. आर. टी., नई दिल्ली के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान करते हुए प्रतिदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण कराना।

9. वर्ष 1982 से 10 वर्षीय शिक्षा प्रणाली पर आधारित पाठ्यक्रम निर्माण तथा पाठ्यक्रम संशोधन तथा पाठ्यक्रम में नये संबोधों-कार्यानुभव, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद का समावेश करना। हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के विभिन्न विषयों में समय-समय पर संशोधन।

10. (i) राज्य पुरोनिर्धारित व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत वाणिज्य शिक्षा के आठ ट्रेड्स, गृह विज्ञान विषय के चार ट्रेड्स तथा कृषि के आठ ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का निर्माण किया गया।

(ii) इसी क्रम में केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत विभिन्न ग्रुपों के 35 ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों का विकास तथा परिषद द्वारा अनुमोदन।

(iii) केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत व्यावसायिक शिक्षा की संकल्पना के आधार के रूप में सामान्य आधारिक विषय के पाठ्यक्रम का निर्माण।

(iv) विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड्स में 11 शिक्षक निर्देशिकाओं का निर्माण एवं चक्रमुद्रण कराकर उनका विद्यालयों में प्रेषण।

(v) विभिन्न व्यावसायिक ट्रेड्स में 11 ट्रेड्स के प्रतिदर्श प्रश्न पत्रों का विकास एवं प्रेषण।

(vi) व्यावसायिक शिक्षा में कार्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों का पृनर्बोधात्मक प्रशिक्षण ।

11. सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रणाली एवं ग्रेडिंग लागू करने हेतु आवश्यक सुझाव एवं कार्यक्रम प्रस्तुत करना तथा इस हेतु आवश्यक प्रपत्रों का विकास करना ।

3. प्रतिभा प्रसून

छात्र-छात्राओं के प्रेरणा स्वरूप वर्ष 1981 से "प्रतिभा प्रसून" नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया जा रहा है । इसका उद्देश्य परिषदीय परीक्षाओं में प्रतिवर्ष श्रेष्ठता सूची के प्रथम 10 छात्रों का विवरण प्रस्तुत करते हुए विभिन्न विषयों में उनके उत्कृष्ट उत्तरों का चयन कर उनका प्रकाशन किया जाता है । वर्ष 1981 से 1988 तक के प्रतिभा प्रसून का प्रकाशन कर उन्हें विद्यालयों में भेजा जा चुका है । वर्ष 1990 का प्रतिभा प्रसून विद्यालयों को भेजी जा रही है । 1991 एवं 1992 की पाण्डुलिपि राजकीय मुद्रणालय में मुदणाधीन है । 1993 एवं 1994 की प्रतिभा प्रसून हेतु छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं से उत्कृष्ट उत्तरों का चयन किया जा चुका है, जो टंकण की अवस्था में है । उसे मुद्रण हेतु भेजा जाना है ।

4. वर्तमान में किये जा रहे कार्य :

1. 1993 की परीक्षा परिणाम के आधार पर हाई स्कूल की 10 प्रमुख विषयों तथा इण्टरमीडिएट की 8 प्रमुख विषयों के परीक्षाफलों का विश्लेषण कर निष्कर्षों के आधार पर परामर्श एवं सुझाव प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कुल 18 पुस्तिकाओं का निर्माण तथा विभिन्न जनपदों में निरीक्षकों तथा सम्बन्धित शिक्षा अधिकारियों को प्रेषण का कार्य ।
2. शासकीय, मान्यता प्राप्त वित्तपोषित अशासकीय, मान्यता प्राप्त वित्त विहीन अशासकीय तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणामों का संख्यात्मक एवं गुणात्मक दृष्टियों से विश्लेषण कर उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करना ।
3. सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु कार्यक्रम को लागू करने पर विचार करना तथा पूर्व विकसित पाँच प्रकार के प्रपत्रों को अंतिम रूप देना एवं अनुमोदन कराना ।
4. व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षक निर्देशिकाओं का निर्माण ।

5. भावी कार्यक्रम :

1. केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत विभिन्न ट्रेड्स के पाठ्यक्रमों में संशोधन ।
2. माध्यमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षण विषयक कार्यशाला का आयोजन ।
3. केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षक निर्देशिकाओं का विकास ।

4. किशोरावस्था शिक्षा से सम्बन्धित कार्यशाला का आयोजन तथा संस्तुतियों के आधार पर पाठ्यक्रम का विकास ।

5. प्रतिभा प्रसून 1994 की पाण्डुलिपि को अन्तिम रूप प्रदान कर उसे मुद्रण हेतु राजकीय मुद्रणालय को भेजना ।

6. प्रतिभा प्रसून 1995 से सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त कर उत्कृष्ट उत्तरों का चयन करना तथा सम्बन्धित श्रेष्ठ परीक्षार्थियों से सम्बन्धित विवरण मँगाना ।

7. हाई स्कूल स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा पर अध्ययन ।

8. 10 वर्षों की श्रेष्ठता सूची के आधार पर विद्यालयों की पहचान तथा उनके शैक्षिक परिवेश का अध्ययन ।

9. व्यावसायिक शिक्षा से सम्बन्धित कतिपय ट्रेड्स में शिक्षकों का अभिनवीकरण/कार्यशालाओं का आयोजन ।

2. पाठ्यपुस्तक राष्ट्रीयकरण अनुभाग

सम्पूर्ण प्रदेश में समान स्तर की उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश सं० मा०/4982/15-7-1607(91)/1971 दिनांक 23-11-74 के द्वारा हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट स्तर की पाठ्य पुस्तकों के क्रमिक राष्ट्रीयकरण की योजना वर्ष 1975 में स्वीकार की गई ।

"पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीयकरण" का उद्देश्य

1. विद्यार्थियों के आयु वर्ग एवं बौद्धिक स्तर के अनुरूप उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों का प्रणयन कराना ।

2. विभिन्न श्रेणी के कार्यरत विषयाध्यापकों, विषय विशेषज्ञों तथा ख्याति प्राप्त विद्वानों के सामूहिक प्रयास द्वारा उत्कृष्ट पाठ्य सामग्री तैयार कराना ।

3. प्रदेश भर में समान स्तर की पाठ्य पुस्तकें छात्रों को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराना ।

4. प्रदेश के विभिन्न प्रकाशकों/मुद्रकों को मुद्रणादेश देकर पाठ्य पुस्तकों की एकाधिकार से मुक्त कराना तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना ।

5. पाठ्य सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्र, प्रेम, राष्ट्रीय एकता एवं भावनात्मक सामंजस्य दायित्व बोध एवं अनुशासन, समाजवाद एवं धर्म निरपेक्षता, विश्वबन्धुत्व एवं मानवतावाद जैसे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करना ।

परिषद द्वारा अब तक हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की कुल 42 पुस्तकें राष्ट्रीयकृत की जा चुकी हैं । कुछ अन्य पुस्तकों के लिखवाने का प्रस्ताव है ।

परिषद के सम्बन्ध में अन्य जानकारियाँ

1. मल्टी सेट्स प्रश्नपत्रों का निर्माण :

नकल की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर रोक लगाने की दृष्टि से परिषद ने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के प्रमुख विषयों में प्रश्न पत्रों के कई सेट बनाये जाने का प्रावधान किया है। मल्टीसेटस के प्रश्न पत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा इनका निर्माण एवं परिसीमन विषय विशेषज्ञों द्वारा कराया जाता है। इससे नकल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने में काफी सफलता मिली है।

2. पत्राचार पाठ्यक्रम की सुविधा :

समाज के ऐसे वर्गों के व्यक्तियों को जो परिस्थितिजन्य कारणों से विद्यालयों में शिक्षा पाने से वंचित रह जाते है और व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं, विधिवत सतत् शिक्षा देने की दृष्टि से 1980 से एक पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की गयी है जो परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह सुविधा साहित्यिक, वैज्ञानिक, वाणिज्य, रचनात्मक और ललितकलावर्गों के सभी विषयों की शिक्षा हेतु उपलब्ध है और प्रथमबार इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को इसे पूरा करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कतिपय राजकीय और अशासकीय विद्यालयों में जुलाई 1986 से इण्टरमीडिएट स्तर पर सतत् सम्पर्क योजना चलाई गयी है, जिनमें पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को संस्थागत छात्र के रूप में समझा जाता है।

3. अभिभावक-अध्यापक एसोशियेशन का गठन :

समाज और विद्यालय में घनिष्ठ संबंध और सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से जुलाई 1986 से प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक-अध्यापक एसोशियेशन का गठन माध्यमिक शिक्षा परिषद के विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। यह एसोशियेशन समाज के सहयोग से विद्यालय की भौतिक, आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं से संबंधित समस्याओं के निवारण की दिशा में सुझाव एवं सहयोग करता है और विद्यालयों में नवीन शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयत्नशील रहता है। पाठ्यक्रमों में स्थानीय व्यावसायिक और शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार नवीनतम् क्रिया-कलापों हेतु सुझाव देने तथा अंततः विद्यार्थियों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उत्थान और उन्नयन हेतु कार्यक्रमों के निर्धारण, आयोजन में विना विद्यालय के प्रशासन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये उपयोगी सिद्ध होता है।

4. परिषद के पुराने अभिलेखों का माइक्रोफिल्मिंग किया जाना :

परिषद के स्थायी अभिलेखों में प्रतिवर्ष लगातार वृद्धि हो रही है। इससे पुराने अभिलेखों के रख-रखाव की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये परिषद में एक माइक्रोफिल्मिंग यूनिट की स्थापना की गई है। यह यूनिट परिषद के पुराने सारणीयन पंजिकाओं की फिल्में बनाकर रखने का कार्य कर रहा है।

5. मूल्यांकन

पाठ्यक्रम शोध एवं मूल्यांकन अनुभाग की स्थापना के उपरान्त परिषद द्वारा विज्ञान तथा गणित विषयों में नयी तकनीक के आधार पर प्रश्नपत्रों का विकास किया गया तथा प्रतिवर्ष प्रश्न पत्रों का निर्माण कर प्रदेश के सभी विद्यालयों में प्रेषित किया गया ताकि छात्र तथा शिक्षक प्रश्नपत्रों की नयी तकनीक से परिचित हो सकें। इन प्रश्नपत्रों का निर्माण सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर किया गया जिसमें बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरीय, लघुउत्तरीय विस्तृत उत्तरीय एवम् थाट टाइप प्रश्नों का समावेश किया गया। इन प्रश्नों में कठिन तथा सरल प्रश्नों का अनुपात इस प्रकार रखा गया ताकि छात्रों के ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग तथा कौशल का सही मूल्यांकन किया जा सके।

इसी प्रकार द्वितीय चरण में हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र तथा भूगोल विषयों में भी नये प्रश्नपत्रों को विकसित कर इसे वर्ष 1984 की परीक्षा में लागू किया गया।

हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 1995 की प्रमुख विशेषतायें एवं परीक्षा परिणाम का विश्लेषण

वर्ष 1995 की हाईस्कूल परीक्षा में कुल 18,00,618 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 16,80,749 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी तथा 9,16,133 परीक्षार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। हाईस्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 54·50 है। हाईस्कूल परीक्षा से सम्बन्धित पूर्ण विवरण निम्नवत् है :—

	संस्थागत			व्यक्तिगत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
पंजीकृत	886817	298766	1185583	483726	131309	615035
सम्मिलित	854848	294005	1148853	413964	117932	531896
उत्तीर्ण	480888	221106	701994	149509	64630	214139
उत्तीर्ण प्रतिशत	56·25	75·20	61·10	36·11	54·80	40·25

इण्टरमीडिएट की परीक्षा में 7,05,860 परीक्षार्थी पंजीकृत थे जिसमें 6,47,235 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और 4,71,056 परीक्षार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए. परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत 72·77 है। इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्बन्धित प्रमुख आंकड़े निम्नवत् हैं :—

	संस्थागत			व्यक्तिगत		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
पंजीकृत	265685	160891	426576	212747	66537	279284
सम्मिलित	255265	157667	412932	176235	58068	234303
उत्तीर्ण	200842	139396	340238	93294	37524	130818
उत्तीर्ण प्रतिशत	78.67	88.41	82.39	52.93	64.62	55.83

वर्ष 1994 की परीक्षा से तुलना करने पर स्थिति यह है कि हाईस्कूल की परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या में 3 36·/. की वृद्धि हुई है और साथ ही हाईस्कूल के उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रतिशत में भी 16·38·/. की वृद्धि हुई है। जिस परीक्षार्थी ने हाईस्कूल की परीक्षा में श्रेष्ठता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके अंक वर्ष 1994 की तुलना में 2·44·/. अधिक है।

इण्टरमीडिएट की परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या वर्ष 1994 की तुलना में 6·04% कम है परन्तु उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या वर्ष 1994 की तुलना में 18.75/. की वृद्धि हुई हैं। श्रेष्ठता सूची में जिस परीक्षार्थी से प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, उसके प्राप्तांक वर्ष 1994 की तुलना में 4·4% अधिक है।

वर्ष 1995 की परीक्षायें विशेष स्थिति में सम्पन्न हुई है। यह सर्वविदित है कि पूरे प्रदेश में लगभग 51 दिन राज्य कर्मी हड़ताल पर रहे. जिसके कारण परीक्षायें 9 मई से प्रारम्भ हो सकी। परीक्षार्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1995 की परीक्षा से सम्बन्धित मूल्यांकन का कार्य 11 जून से ही कराया गया। शिक्षकों, प्रधानाचार्यों के सहयोग से इस वर्ष इण्टरमीडिएट का परीक्षा परिणाम तैयार करने में कुल 32 दिन लगे और हाईस्कूल का परीक्षा परिणाम तैयार करने में कुल 37 दिन लगे जबकि पूर्व वर्षों में इण्टरमीडिएट परीक्षा परिणाम तैयार करने में न्यूनतम 40 दिन लगे है और हाईस्कूल के परीक्षा परिणाम तैयार करने में न्यूनतम 45 दिन लगे है।

इण्टरमीडिएट परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने के पश्चात् उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की श्रेष्ठता सूची को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि जिस परीक्षार्थी ने श्रेष्ठता सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसने 91·40% अंक अर्जित किये है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उसी परीक्षार्थी ने वर्ष 1993 की हाईस्कूल परीक्षा में बालिकाओं की श्रेष्ठता सूची में ग्यारहवाँ स्थान प्राप्त किया था। इण्टरमीडिएट परीक्षा के श्रेष्ठता सूची में एक ही संस्थान से लगभग 16 परीक्षार्थियों ने श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त किया हैं और यह जानकारी प्राप्त की जा रही है कि इन परीक्षार्थियों के हाईस्कूल परीक्षा में प्राप्तांक क्या थे, उनकी श्रेणी क्या थी और श्रेष्ठता सूची में उच्च स्थान प्राप्त करने की सार्थकता क्या हैं ?

उपर्युक्त के अनुक्रम में यह उल्लेखनीय है कि विलम्ब से परीक्षा प्रारम्भ होने पर भी परीक्षा परिणाम का प्रकाशन इस प्रकार सुनिश्चित किया गया कि परीक्षार्थियों के अग्रेतर अध्ययन में अवरोध न उत्पन्न हो।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No.....
Date.....

मुद्रक—नीलम मुद्रणालय, 1083 कल्याणी देवी, इलाहाबाद